न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

M.S-19/2013

C.I.S.-19/2013

23.06.2022	वादी की ओर से हाजरी दी गई है। प्रतिवादी की ओर से हाजरी नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद में वादी की ओर से दिनांक 22-10-2021 को संशोधन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जिसकी कॉपी प्रतिवादी को दी गई है। बार–बार न्यायालय द्वारा समय दिये जाने के बावजुद प्रतिवादी की ओर से इसके संबंध में प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया है। अतः वादी का संशोधन आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाए तथा वाद पत्र में संशोधन का आदेश दिया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए प्रयाप्त समय दिया जा चुका है। फिर भी प्रतिवादी की ओर से न तो आज भी हाजरी दी गई है और न ही प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी को प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित कर दिया जा चुका है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रतिवादी की ओर से लम्बे समय से हाजरी नहीं दी जा रही है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र शपथ–युक्त है। संशोधन आवेदन पत्र साधाराण प्रकृति का है। वाद में संशोधन से इसके मूल प्रकृति में परिवर्त्तन नहीं होगा। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/o-6 Rule-17 R/w Section 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करें। वाद दिनांक 2.8.22 वास्ते प्रस्तुत करें। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी